न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/319/2017

उनवान

1. शत्रुघ्न सिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपूत निवासी कोशीथल तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. किशन सिंह पुत्र गिरधारी सिंह राजपूत निवासी कोशीथल तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. शाखा प्रबन्धक आई सी आई सी आई बैंक शाखा कोशीथल जिला भीलवाडा
3. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा कोशीथल जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 140/2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.9.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री सुनील कुमार जैन , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम अरनोटा पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाडा के खाता संख्या 11 पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अंकित आराजी नम्बर 2 रकबा 1.08 है0, आराजी नम्बर 441 रकबा 0.30 है0, आराजीनम्बर 542 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.59 है0, आराजीनम्बर 548 रकबा 0.49 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.51 है0 स्थित है। मौजूदा जमाबंदी में वादी के खातेदारी का 5/6 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम अरनोट पटवार हल्का कोशीथल के खाता संख्या 12 पर अंकित आराजी संख्या 1 रकबा 4.27 है0, आराजी नम्बर 5 रकबा 2.58 है0, आराजी नम्बर 6 रकबा 1.20 है0, आराजी नम्बर 7 रकबा 6.44 है0, आराजी नम्बर 546 रकबा 0.98 है0, आराजी नम्बर 547 रकबा 0.70 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 16.44 है0 स्थित है। मौजूदा जमाबंदी में वादी के खातेदारी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। जो जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड अवश्य है परन्तु सभी प्रतिवादीगण मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज है। वादग्रस्त आराजियात पर वादी अपने माफिक रेकार्ड हिस्से पर भौतिक रूप से काबिज होकर काश्त लाभ ले रहा है एवं उपयोग उपभोग कर रहा है। वादग्रस्त आराजियात में वादी अपने माफिक रेकार्ड हिस्से पर काबिज है, लेकिन अपने हिस्से को उन्नत बनाने, डवलप करने, लगान का विभाजन करने तथा कृषि कार्यो में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः खाता संख्या 11 में वर्णित आराजियात कुल किता 5 कुल रकबा 2.51 है0, में वादी का 5/6 हिस्से तथा खाता संख्या 12 में वर्णित आराजियात कुल किता 6 कुल रकबा 16.44 है0 में वादी का1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 1.8.2016 को सहमति से बंटवाडा करने के लिए कहा परन्तु प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए इसलिए वादपत्र प्रस्तुत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करना पडा । अतः खाता संख्या 11 पर अंकित आराजी नम्बर 2 रकबा 1.08 है0, आराजी नम्बर 441 रकबा 0.30 है0, आराजीनम्बर 542 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.59 है0, आराजीनम्बर 548 रकबा 0.49 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.51 है0 स्थित है। मौजूदा जमाबंदी में वादी के खातेदारी का 5/6 हिस्सा एवं खाता संख्या 12 पर अंकित आराजी संख्या 1 रकबा 4.27 है0, आराजी नम्बर 5 रकबा 2.58 है0, आराजी नम्बर 6 रकबा 1.20 है0, आराजी नम्बर 7 रकबा 6.44 है0, आराजी नम्बर 546 रकबा 0.98 है0, आराजी नम्बर 547 रकबा 0.70 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 16.44 है0 में वादी के खातेदारी का 1/2 हिस्सा का विभाजन करा कब्जे अनुसार उसके पृथक खातेदारी में दर्ज कराये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 15.6.2017 को पारित की। बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.9.2017 पारित की । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कब्जे अनुसार विभाजन कराने की दाद चाही गई थी। जिसके प्रत्युत्तर में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा जिन आराजियात पर प्रतिवादी का कब्जाकाश्त है उसका उल्लेख करते हुए विभाजन किये जाने का निवेदन किया था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा चाही दाद से परे जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करने का निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र किस तारीख को प्रस्तुत किया गया इसका कोई अंकन अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली की आदेशिका मे नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत होने के बाद दिनांक आगामी पेशी दिनांक 5.9.2016 को नियत की गई। जिस पर मामलें में अपीलार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.10.2016 नियत की गई। एव दिनांक 18.10.2016 को कोई अहकाम दर्ज नहीं किया गया तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा न आगामी तारीख दर्ज की गई न ही अहकाम हस्ताक्षरित किया गया । अहकाम का पूरा पृष्ठ खाली छोना जाना विधि विरूद्ध है। राजस्व कार्मिक कार्यालय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली बाबत बार बार टालमटोल करते रहे। जिस पर अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21.3.2017 को जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया । जिसका भी आदेशिका में कोई अंकन नहीं किया गया । प्रकरण में रीडर द्वारा दिनांक 10.4.2017 मान कर दिनांक 10.4.2017 को आगामी पेशी दिनांक 8.5.2017 नियत की गई लेकिन उक्त प्रकरण में उक्त दिनांक को कोई आदेशिका नही लिखी गई व मामले को दिनांक 15.6.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोशीथल में रखते हुए मामले में बिना अपीलार्थी को सुने व अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये ही मनमकसूद तरीके से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए मामले में विधिक प्रक्रिया अपनाये बगैर ही निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित दी। जिसकी जानकारी अपीलार्थी/प्रतिवादी को नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन प्रकरण में निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रांरभिक डिक्री एवं निर्णय पारित करने के पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.6.2017 को नियत की गई परन्तु उक्त पेशी पर कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। सीधे ही दिनांक 11.9.2017 को पत्रावली में वादी रेस्पोडेण्ट वव पटवार हल्का एवं गिरदावर द्वारा मिलीभगत कर बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया । जिसमें अपीलार्थी की सहमति नहीं ली गई उक्त बारे में कोई आक्षेप भी आमंत्रित नहीं किया गया है। केवल मात्र वादी की सहमति का अंकन आदेशिका पर करते हुए उक्त प्रकरण में अंतिम डिक्री एव निर्णय पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन मामले में जो बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है वह पटवारी हल्का, गिरदावर ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से मिलकर मनमकसूद तरीके से पटवार हल्का में बैठकर तैयार किया गया है मौके पर जाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। बंटवाडा प्रस्ताव पर पटवारी हल्का, गिरदावर एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के ही मात्र हस्ताक्षर हैं यदि मौके पर जाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया जाता तो निश्चित ही बंटवाडा प्रस्ताव पर अपीलार्थी एवं स्वतंत्र गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये जाते। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। ,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी द्वारा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया है जिससे उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय को तनकियात कायम करनी चाहिये थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम नहीं कर प्रकरण में अपीलार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने का अंकन आदेशिका में करते हुए बिना वादी की साक्ष्य लिये अपीलाधीन प्रकरण में निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.9.2017 को अपास्त कर प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

9. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी को नोटिस की तामील के उपरान्त उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए है। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा भी प्रस्तुत किया गया था। राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी। उसके उपरान्त बंटवाडा प्रस्ताव तलब की गई थी। बंटवाडा प्रस्ताव विधिक प्रक्रिया के तहत गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जिसमें प्रतिवादी स्वयं मौके पर उपस्थित रहें हैं एवं पर्चा मौका पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया है जिसका अंकन पर्चा मौका में किया गया है। बंटवाडा प्रस्ताव उभयपक्ष की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम अरनोटा पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाडा के खाता संख्या 11 पर अंकित आराजी नम्बर 2 रकबा 1.08 है0, आराजी नम्बर 441 रकबा 0.30 है0, आराजीनम्बर 542 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.59 है0, आराजीनम्बर 548 रकबा 0.49 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.51 है0 में से मौजूदा जमाबंदी में वादी के खातेदारी का 5/6 हिस्सा एवं ग्राम अरनोट पटवार हल्का कोशीथल के खाता संख्या 12 पर अंकित आराजी संख्या 1 रकबा 4.27 है0, आराजी नम्बर 5 रकबा 2.58 है0, आराजी नम्बर 6 रकबा 1.20 है0, आराजी नम्बर 7 रकबा 6.44 है0, आराजी नम्बर 546 रकबा 0.98 है0, आराजी नम्बर 547 रकबा 0.70 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 16.44 है0 में वादी के खातेदारी का 1/2 हिस्सा के अुनसार विभाजन की डिक्री का अनुतोष चाहा है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी 2069 से 2072 में भी वादग्रस्त आराजियात में वादी का हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

11. अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी द्वारा वाद पत्र दिनांक 16.8.2016 को प्रस्तुत किया जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा रीडर को रिपोर्ट करने के लिए अंकन किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र किस तारीख को दर्ज रजिस्टर किया गया इस बाबत कोई तारीख अंकन नहीं किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाने के उपरान्त प्रतिवादी नोटिस जारी किये जाने का अंकन कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.9.2016 नियत की गई है। उक्त आदेशिका लिखने के उपरान्त पीठासीन अधिकारी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हस्ताक्षर भी नही किये गये हैं। दिनांक 5.9.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने का अंकन किया हुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री छीतर मल सिसोदिया द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किये जाने काअंकन किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.10.2016 नियत किये जाने का अंकन किया गया है। परन्तु दिनांक 18.10.2016 को आदेशिका का पूर्ण अंकन नहीं किया गया है एवं उसके उपरान्त आगामी तारीख पेशी क्या नियत की गई है इसका भी अंकन नहीं किया गया है। उसके उपरान्त दिनांक 10.4.2017 को पेशी दिनांक को आदेशिका में पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने का अंकन करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.5.2017 नियत की गई है। परन्तु दिनांक 8.5.2017 को भी कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है।

12. दिनांक 15.6.2017 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प मु0 कोशीथल पर रखा गया है। दिनांक 15.6.2017 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में रखे जाने बाबत नोटिस दिनांक 2.5.2017 को जारी किया गया है। उक्त नोटिस की पुश्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई है जिसके अनुसार " हम दो मौतबिरान यह तस्दीक करते हैं कि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम कोशीथल में नहीं , बाहर गांव उदेपुर गया हुआ के मकान पर ताला लगा हुआ है। " उक्त नोटिस की पुश्त पर किसी अम्बालाल के हस्ताक्षर है एवं दूसरे मौतबिर के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। उक्त नोटिस के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर आया है प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोशीथल में रखे जाने बाबत उभयपक्ष को किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल पाई थी।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. उभयपक्ष को प्रकरण राजस्व लोक अदालत शिविर में रखे जाने की सूचना नहीं मिल पाई थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत कर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा को शामिल पत्रावली किये जाने का अंकन करते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 21.3.2017 को हस्ताक्षर किये गये हैं परन्तु जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किये जाने बाबत अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया है। जब अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम को रेकार्ड पर लिया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को जवाब दावे एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकियात कायम करनी चाहिये थी। उसके उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध रेकार्ड, साक्ष्य के आधार पर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित करना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे का न तो आदेशिका में कोई अंकन किया गया है एवं न ही इस बाबत कोई तनकियात ही कायम की गई है। दिनांक 15.6.2017 को वादी की उपस्थिति का अंकन किया गया है एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति का अंकन किया जाकर सीधे ही वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई जाकर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री की गई है। पत्रावली से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कोशीथल में रखे जाने की सूचना की तामील नहीं हो पाई थी। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखे जाने बाबत पूर्व की आदेशिका में भी अंकन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विधिवत सूचना नहीं मिल पाने से ही नियत दिनांक को प्रतिवादी उपस्थित नहीं हो सका था । अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम का अपीलाधीन निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया । ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है । परन्तु प्राथमिक डिक्री के राजस्व रिकार्ड के अनुरूप होने के आधार पर अपीलार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। उक्त निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2069–2072 में दर्ज रेकार्ड के अनुसार पारित की गई है। ऐसी स्थिति में उभयपक्षकारान की सहमति से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 15.6.2017 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

14. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्रारभिक डिक्री पारित कर आदेशिका दिनांक 15.6.2017 में तहसीलदार सहाडा से बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर कैम्प सहाडा में दिनांक 28.6.2017 को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना अंकित किया था। दिनांक 28.6.2017 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य था । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा हिरण मगरी, उदयपुर के पते पर दिनांक 6.7.2017 को नोटिस प्रेषित किया । उक्त नोटिस की प्रतिवादी पर तामील हुआ हो इस संबंध में पत्रावली पर कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15. राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव गिरदावर एवं पटवारी हल्का की उपस्थिति में तैयार किया जाना होता है। बंटवाडा करते समय अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का भी विभाजन करते समय समान रूप से बंटवाडा किया जाना होता है। प्रत्येक सहखातेदार का पृथक–पृथक बंटवाडा कर नक्शे में सहखातेदार के हिस्से को पृथक पृथक रंग द्वारा भी दर्शाया जाना अनिवार्य होता है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करना होता है एवं यदि किसी पक्षकारान को कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण भी तत्समय ही किया जाना होता है। अपीलाधीन मामले में बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार सहाडा की उपस्थिति में तैयार किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय गिरदावर एवं पटवारी हल्का की मौजूदगी भी रही है । पर्चा मौका तैयार करते समय प्रतिवादी/अपीलार्थी की उपस्थिति का अंकन किया गया है एवं प्रतिवादी के द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार करने का अंकन भी किया गया है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के तहत पर्चा मौका तैयार करते समय यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण भी मौके पर किये जाना चाहिये । प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने का तो अंकन किया गया है परन्तु उसकी क्या आपत्ति रही इसका अंकन नहीं किया गया है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान के मध्य किये गये विभाजन के हिस्से को अलग अलग रंग से भी नहीं दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रतिवादी को बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व सूचना पत्र की तामील होना ही संदिग्ध है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/प्रतिवादी की उपस्थिति भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संदिग्ध हो जाती है। यद्यपि बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय तहसीलदार, सहाडा, गिरदावर, एवं पटवारी हल्का की उपस्थिति रही है उक्त पर्चा मौका पर किसी स्वतंत्र गवाहान के भी हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

16. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.9.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकियात कायम की जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की जावे तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में बटवाडा प्रस्ताव तैयार करवाये जाने के उपरान्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जावे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में 11.10.19 दिनांक को उपस्थित रहे।

17. निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)